

रजिस्ट्रार  
4/10/19

नोट:- कालेज द्वारा फार्म भरते समय विशेष रूप से काम करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर/द्वारा फार्म अर्पित किया जाता है, यदि कोई गलती दिखाई देती है तो प्रिंसिपल/कम्प्यूटर ऑपरेटर गलती के लिए जिम्दार होंगे। मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कॉमिशन इस गलती के लिए किसी भी प्रकार से जिम्दार नहीं होगा। साथ ही उपरोक्त के अलावा सुधार को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने पर कॉमिशन सुधार को वापस नहीं होगी।

➤ पिता का नाम, स्वयं के नाम के बच्चे में सुधार किया जा सकता है।

मान्य नहीं होगी।

➤ मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कॉमिशन से प्रथम वर्ष की मार्कशीट भेजने के उपरान्त 2 महीने के भीतर छात्र/छात्राएं/संस्था के प्राचार्य/मार्कशीट में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम वर्षी प्राप्त करने के 2 माह उपरान्त मान्य नहीं होगी।

स्वीकार नहीं किया जाएगा।

➤ कॉलेज/संस्था द्वारा समस्त परीक्षाओं के आवेदन फार्म भरते समय संबंधित संस्था के प्राचार्य स्वयं जांच लेवे कि संबंधित छात्र की जानकारी सही प्रविष्ट कर रहे हैं। इस संबंध में अगर संस्था/कॉलेज द्वारा किसी भी कारणों से गलत जानकारी आवेदन फार्म में भरी जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्दारी उस कॉलेज/संस्था की होगी। एक बार आवेदन करने एवं प्रवेश पत्र जारी होने के उपरान्त कोई भी संशोधन किए जाने हेतु किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

➤ छात्र द्वारा शेष-पत्र रुपये 100/- के स्तर पर पर प्रस्तुत करना होगा।

➤ मार्कशीट में सुधार केवल प्रथम वर्ष में किया जाना ही सम्भव होगा।

मार्कशीट सुधार हेतु आवेदन

रिजिस्ट्रार  
 4/10/19  
 18000

नोट:- आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर द्वितीय प्रति जाही की जायेगी, इसके लिए मध्यप्रदेश नर्सिंग कॉलेजों में किसी भी प्रकार से निम्नोक्त नहीं होगी

➤ आधार काड

➤ पिछली मार्केटिंग की कोटाकपी

➤ छात्र द्वारा शपथ-पत्र के 100/- के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

➤ आवेदन सत्यापन द्वारा अधिलेखन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसमें समस्त सत्यापन पत्र सत्यापन के प्रचार्य द्वारा अधिलेखित होंगे।

➤ वर्ष 2012 से बाद नामांकित छात्र को सीधे ऑनलाइन मध्यप्रदेश नर्सिंग कॉलेजों में आवेदन करना होगा।

➤ वर्ष 2012 के पहले नामांकित केवल छात्र को ऑफ लाइन बैंक ड्राफ्ट रुपये 240/- के साथ आवेदन करना होगा।

द्वितीय मार्केटिंग के लिए आवेदन